

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,

वनमण्डल धार (म.प्र.)

विषय :- वन भूमि पर निसरपुर से झिरपन्या ऑप्टिकल फाईबर केबल डालने की अनुमति में उल्लेखित समस्त शर्तों के परिपालन में।

संदर्भ :- आपका कार्यलयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./2018/5027

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत वन भूमि निसरपुर से झिरपन्या तक ऑप्टिकल फाईबर केबल डालने हेतु आवेदन किया गया है। जिस हेतु आपके द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान कर कार्य करने हेतु बिन्दुवार शर्तों का पालन करने के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र में उल्लेख किया गया है।

पत्र के परिपालन में उपरोक्त वन भूमि में कार्य करने हेतु आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली सशर्त सैद्धान्तिक अनुमति का बिन्दुवार पालन करने हेतु वचन पत्र संलग्न कर उपरोक्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन वेब पोर्टल पर अपलोड कर हार्डकापी 03-03 प्रतियों में श्रीमान की ओर प्रेषित।



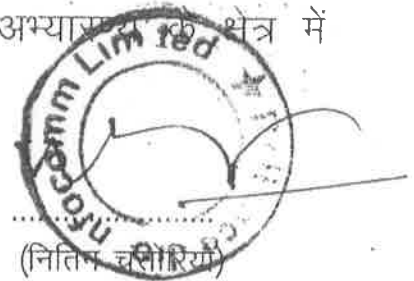
प्रबंध निदेशक

रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड
भोपाल

Reliance Jio Infocomm Ltd: CIN U729000MH2007PLC234712

State Office: 2nd Floor, DR City Corporate Park, 4th Cross, 1st Main, Bhopal 462 002

1. मैं नितिन चंसोरिया वचन देता हूँ कि आपके द्वारा दी गई अनुमति में उल्लेखित शर्तों के बिन्दु क्र. 01 का पूर्ण पालन करते हुए राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं डाली जावेगी।



(नितिन चंसोरिया)

प्रबंध निदेशक

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

भोपाल

वचन-पत्र

2. मैं नितिन चंसोरिया वचन देता हूँ कि आपके द्वारा दी गई अनुमति में उल्लेखित शर्तों के बिन्दु क्र. 02 का पूर्ण पालन करते हुए वनभूमि में केबल लाइन बिछाने का कार्य वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राईट ऑफ वे के तहत किया जावेगा। राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे-किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है।



(नितिन चंसोरिया)

प्रबंध निदेशक

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

भोपाल

वचन-पत्र

3. मैं नितिन चंसोरिया वचन देता हूँ कि आपके द्वारा दी गई अनुमति में उल्लेखित शर्तों के बिन्दु क्र. 03 का पूर्ण पालन करते हुए वनभूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा तथा तकनीकी दृष्टि से लाइन डालने हेतु न्यूनतम वनभूमि का उपयोग किया जावेगा।



(नितिन चंसोरिया)

प्रबंध निदेशक

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

भोपाल

वचन-पत्र

1. मैं नितिन चंसोरिया वचन देता हूँ कि आपके द्वारा दी गई अनुमति में उल्लेखित शर्तों के बिन्दु क्र. 04 का पूर्ण पालन करते हुए प्रकरण में वृक्षों को हानि/कादा जाता है तो 10 गुना वृक्षों का वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जावेगा।



(नितिन चंसोरिया)

प्रबंध निदेशक

रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड
भोपाल

वचन-पत्र

5. मैं नितिन चंसोरिया वचन देता हूँ कि आपके द्वारा दी गई अनुमति में उल्लेखित शर्तों के बिन्दु क्र. 05 का पूर्ण पालन करते हुए वनभूमि पर भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिये खोदी जाने वाली खंती का आकार 02 मीटर गहराई तथा 01 मीटर चौड़ाई से अधिक नहीं होगा।



(नितिन चंसोरिया)

प्रबंध निदेशक

रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड
भोपाल

वचन-पत्र

3. मैं नितिन चंसोरिया वचन देता हूँ कि आपके द्वारा दी गई अनुमति में उल्लेखित शर्तों के बिन्दु क्र. 06 का पूर्ण पालन करते हुए ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन का रखरखाव एवं दुरुस्ती का कार्य आपकी अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा।



(नितिन चंसोरिया)

प्रबंध निदेशक

रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड
भोपाल

खोदी गई खंती से निकाली गई मिट्टी से ही अपने साधन द्वारा किया जावेगा।



(नितिन चंसोरिया)

प्रबंध निदेशक

रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड

भोपाल

वचन-पत्र

8. मैं नितिन चंसोरिया वचन देता हूं कि आपके द्वारा दी गई अनुमति में उल्लेखित शर्तों के बिन्दु क्र. 08 का पूर्ण पालन करते हुए खंती खोदते समय न तो वृक्षों को हानि पहुंचाई जावेगी और न ही खंती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को काटा जावेगा।



(नितिन चंसोरिया)

प्रबंध निदेशक

रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड

भोपाल

वचन-पत्र

9. मैं नितिन चंसोरिया वचन देता हूं कि आपके द्वारा दी गई अनुमति में उल्लेखित शर्तों के बिन्दु क्र. 09 का पूर्ण पालन करते हुए प्रकरण में नेट प्रजेन्ट वेल्यू में छूट है, परन्तु भविष्य में राज्य शासन द्वारा नेट प्रजेन्ट वेल्यू की मांग की जाती है या दर में वृद्धि होती है तो अतिरिक्त राशि जमा की जावेगी।



(नितिन चंसोरिया)

प्रबंध निदेशक

रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड

भोपाल

वचन-पत्र

10. मैं नितिन चंसोरिया वचन देता हूँ कि आपके द्वारा दी गई अनुमति में उल्लेखित शर्तों के बिन्दु क्र. 10 का पूर्ण पालन करते हुए वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा।



रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड
भोपाल

वचन-पत्र

11. मैं नितिन चंसोरिया वचन देता हूँ कि आपके द्वारा दी गई अनुमति में उल्लेखित शर्तों के बिन्दु क्र. 11 का पूर्ण पालन करते हुए यदि ठेकेदार के द्वारा वन या वन भूमि एवं किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है तो आपके द्वारा निर्धारित राशि आपके संस्थान में जमा की जावेगी।



रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड
भोपाल

वचन-पत्र

12. मैं नितिन चंसोरिया वचन देता हूँ कि आपके द्वारा दी गई अनुमति में उल्लेखित शर्तों के बिन्दु क्र. 12 का पूर्ण पालन करते हुए यदि भविष्य में भारत सरकार एवं राज्य सरकार/ प्रधान मुख्य संरक्षक म.प्र./ क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं वनमण्डलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वे सभी मान्य होगी।



वचन-पत्र

13. मैं नितिन चंसोरिया वचन देता हूँ कि आपके द्वारा दी गई अनुमति में उल्लेखित शर्तों के बिन्दु क्र. 13 का पूर्ण पालन करते हुए समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता होती है तो वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जावेगा।



रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड
भोपाल

वचन-पत्र

14. मैं नितिन चंसोरिया वचन देता हूँ कि आपके द्वारा दी गई अनुमति में उल्लेखित शर्तों के बिन्दु क्र. 14 का पूर्ण पालन करते हुए खेती खोदने या कार्य के दौरान वन्य प्राणीयों को किसी भी प्रकार की कोई हानि या नुकसान नहीं होने दिया जावेगा।



रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड
भोपाल

वचन-पत्र

15. मैं नितिन चंसोरिया वचन देता हूँ कि आपके द्वारा दी गई अनुमति में उल्लेखित शर्तों के बिन्दु क्र. 15 का पूर्ण पालन करते हुए नियुक्त ठेकेदार अथवा श्रमिकों द्वारा अग्नि सुरक्षा, वन सुरक्षा एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जावेगी।



रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड
भोपाल

वचन-पत्र

16. मैं नितिन चंसोरिया वचन देता हूँ कि आपके द्वारा दी गई अनुमति में उल्लेखित शर्तों के बिन्दु क्र. 16 का पूर्ण पालन करते हुए भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन प्रकरण में राजस्व वन या छोटे बड़े झाड़ का वन या वन जैसा की सिविल साचिका क्रमांक 202/95 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.1996 के निर्णय के पालन में राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 16/10/सात/2-ए/90 दिनांक 13.01.1997 में परिभाषित है के संबंध में ऐसे वन से की जानकारी निरंक है, उक्त स्वीकृती केवल वनभूमि के लिये ही उपयोग की जावेगी जो कि वन विभाग के अधिपत्य में है।


(नितिन चंसोरिया)
प्रबन्ध निदेशक
रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड
भोपाल

वचन-पत्र

17. मैं नितिन चंसोरिया वचन देता हूँ कि आपके द्वारा दी गई अनुमति में उल्लेखित शर्तों के बिन्दु क्र. 17 का पूर्ण पालन करते हुए प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ई-पोर्टल पर जा कर ऑनलाईन राशि रु. 100/- जमा कर दी गई है तथा प्रति उपरोक्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन वेब पोर्टल पर अपलोड कर एवं हार्डकापी तीन-तीन प्रतियों में जमा करने तथा आपके द्वारा औपचारिक स्वीकृति जारी होने के पश्चात ही मौका स्थल पर कार्य किया जावेगा।


(नितिन चंसोरिया)
प्रबन्ध निदेशक
रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड
भोपाल